

दीवानी वाद पत्र सं. 70/2006
बिरदीचन्द बनाम जयवंती

30.01.2026

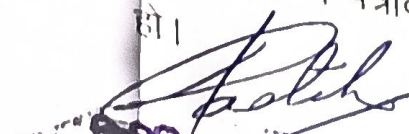
अधिवक्ता उभय पक्षकारान् उपस्थित।

इस आदेश के द्वारा वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित दिनांकित 11.11.2025 का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त वाद के वादी सं. 1 की मृत्यु दिनांक 22.10.2025 को हो चुकी है एवं अन्य वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद की कार्यवाही जारी रखने का अधिकार बचा रहता है। उक्त स्थिति में वाद शीर्षक से वादी सं. 1 का नाम विलोपित किया जाकर मामले हाजा में अग्रिम कार्यवाही की जाना आवश्यक है। अन्त में वादी सं. 1 का नाम वाद शीर्षक से विलोपित किये जाने का निवेदन किया। जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में वादी सं. 1 बिरदीचन्द का स्वर्गवास दिनांक 22.10.2025 को हो जाना दर्शित है। अतः वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी सं. 1 का नाम वाद शीर्षक से विलोपित किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि पत्रावली न्यायालय के अन्यन्त पुराने प्रकरण में शामिल होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुराने प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु जारी दिशा निर्देशों के तहत चिन्हित होकर टारगेट पत्रावली संख्या 1 के रूप में शामिल है, जिसका निस्तारण शीघ्र अति शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। पत्रावली में यदि पक्षकारान की ओर से कोई सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त पेश करना चाहते हैं तो आगामी पेशी पर प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा। पत्रावली वास्ते पेश होने दस्तावेज दिनांक 13/2/26 को पेश हो।


सिद्धिचन्द प्रसाद
न्यायाधीश